

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 189/2025 बउनवानी कैलाश नारायण बनाम उप जिला कलेक्टर खण्डार
पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा नि0 गीता भवन के पास शहर स0मा0

GCMS No-2025/363

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	दिनांक
10.12.2025	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 24.07.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " इस्तगासा 107-116(3)CRPC में मु.न. 97/20 में प्रमाणित प्रति दस्तावेजों को उपलब्ध हेतु" उप जिला कलेक्टर खण्डार से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक:-सूकाअ/अपील/25/2203 दिनांक 11.12.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 24.07.2025 में चाही गयी सूचना थानाधिकारी पुलिस थाना खण्डार के पत्र क्रमांक 3004-05 दिनांक 30.08.2025 के द्वारा अपीलान्ट को सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जा चुकी है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.07.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना थानाधिकारी पुलिस थाना खण्डार के पत्र क्रमांक 3004-05 दिनांक 30.08.2025 द्वारा अपीलान्ट को भिजवाई जा चुकी है। किन्तु मूल स्टाम्प नही होने के कारण स्टाम्प की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः उपजिला कलेक्टर खण्डार को निर्देशित किया जाता है कि स्टाम्प की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को सात दिवस में उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p>	

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर